कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक – 2426 दिनांक – 30/09/2021

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी,
पुरनाडीह ओ0सी0पी0,
एन0के0 क्षेत्र, सी0सी0एल0,
पो0—बचरा, जिला— चतरा।

विषय— चतरा जिला अन्तर्गत पुरनाडीह ओ0सी0पी0 परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक F.No. 8-61/2018 FC DFA-I दिनांक 22.08.2019 तथा F.No. 8-61/2018 FC DFA-II दिनांक 22.08.2019 तथा आपका पत्रांक 2161 दिनांक 18.08.2021

2. आपका पत्रांक PO/PND/Forest/21-22/298 Dated 05.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव में भारत सरकार के प्रासंगिक पत्रों द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन आपके द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया था, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिन्दुवार कमेंट देते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 2161 दिनांक 18.08.2021 द्वारा वन संरक्षक, प्रादेशिक अचल, चतरा को भेजी गयी। इसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गई थी। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ने अपने पत्रांक 1013 दिनांक 10.09.2021 द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन में मूल प्रश्न के अनुरूप जवाब नहीं है का उल्लेख करते हुए प्रेषित प्रतिवेदन इस कार्यालय को वापस कर दिया है। (छायाप्रति संलग्न) वन संरक्षक के पत्र के अनुसार आपके प्रतिवेदन में निम्नांकित बिन्दुओं पर आपका पुनः संशोधित एवं सवंर्द्धित अनुपालन प्रतिवेदन अपेक्षित है :—

(A) F.No. 8-61/2018 FC DFA-I दिनांक 22.08.2019 से संबंधित :— Condition no. 2 :— इस शर्त के माध्यम से 81.20 हे0 भूमि का status report माँगा गया है जिसमें आपके द्वारा यह अंकित किया गया है कि 81.20 हे0 भूमि को प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है परन्तु आपके द्वारा इसका कारण नहीं दर्शाया गया है कि इसे क्यों नही इसे शामिल किया है तथा यह भी नहीं बताया गया कि वर्तमान में उस भूमि की स्थिति क्या है?

Condition no. 6 :– परियोजना से संबंधित वन संरक्षक के पत्र में समुचित उत्तर के लिये अभीष्ट पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, इमेल आईडी, पूर्ण पत्ता के साथ सूचना अविलंब उपलब्ध कराया जाय।

Condition no. 7 :– आपके द्वारा इस परियोजना के विरूद्ध कुल 24.95 हे0 में खनन कार्य पूर्ण हो चुके वनभूमि में **reclaimation** की विवरणी अंकित करते हुए नक्शा सीधे वन संरक्षक के कार्यालय को भेजा गया है। जबकि इस परियोजना में अभी तक वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा खनन कार्य किये जाने की अनुमति प्राप्त नही है, तो फिर आपके द्वारा किस परियोजना से संबंधित वनभूमि में **reclaimation** कर नक्शा एवं विवरणी वन संरक्षक, महोदय के कार्यालय में समर्पित किया गया था। इसे स्पष्ट करें।

साथ ही आपके द्वारा समर्पित नक्शे की संयुक्त स्थलीय जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी, टण्डवा प्रक्षेत्र से करा कर नौ प्रतियों में नक्शा की हस्ताक्षरित प्रति स्पष्ट मंतव्य के साथ पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर समर्पित किया जाय।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपके द्वारा इस कार्यालय में समर्पित बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन की नौ प्रतियाँ एवं समर्पित नक्शा इस पत्र के साथ संलग्न वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सके।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

30/9/2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

30/09/2021